Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

परिवाद पत्र सं.– 270 ⁄ 2020 सी.आई.एस.क्र.– 270 ⁄ 2020

द्रोपती देवी बनाम सत्यनारायण दास एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
<u>पुनश्च</u> 07.04.2026	परिवादी की कोई पैरवी नहीं है। अभियुक्तगण अनुपस्थित हैं। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवादी इस प्रकरण में विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहे हैं। बार–बार निर्देश के बाद भी परिवादी इस वाद में न तो उपस्थित हो रहे हैं ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हो रहे हैं और ना ही परिवादी के अनुपस्थिति का कोई युक्तियुक्त कारण ही दर्शित किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि परिवादी को इस परिवाद में कोई अभिरूचि नहीं है। इस प्रकरण में अभियुक्तगण को सम्मन मामले के विचारण हेतु आहुत किया गया है। ऐसी दशा में धारा 256 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्ति के प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा 256 दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्ति के आलोक में अभियुक्त विजय शर्मा एवं सत्यनारायण दास को धारा 342, 323, 504 भा0दं0सं0 के अभियोग से **दोषमुक्त** किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें। हस्ताक्षर ह0 ⁄ – अ0मु0न्या0दं0 बनमनखी, पूर्णियाँ	